

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या 490 / 2015 / उदयपुर

2.अपील संख्या 491 / 2015 / उदयपुर

मैसर्स पवन मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स
उदयपुर

अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(प्रशासन)वाणिज्यिक कर
उदयपुर

2.सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट द्वितीय, वृत्त-सी, उदयपुर

प्रत्यर्थागण

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री वी.के.पारीक

अधिवक्ता

श्री आर.के.अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 29.09.2016

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थागण की ओर से

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलार्थी की ओर से उपायुक्त(प्रशासन) वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे उपायुक्त (प्रशासन) कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण संख्या 26 व 28/ 14-15/ कर/उपा./ (प्र)उदय/ में पारित पृथक-पृथक निर्णय दिनांक 09.01.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। दोनों अपीलें एक ही व्यवहारी की होने एवं निर्णय हेतु निहित बिन्दु समान होने के कारण इनका निष्पादन एक ही निर्णय से किया जा रहा है। इस निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जा रही हैं।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, वृत्त-सी, उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने अपीलार्थी व्यवसायी के वर्ष 2006-07 एवं 2008-09 के कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 13.03.2009 एवं 20.01.2011 को एक पक्षीय पारित कर क्रमशः रु. 28,120/- व रु. 14,600/- की मांग सृजित की गई है। अपीलार्थी व्यवसायी ने उक्त कर निर्धारण आदेशों से क्षुब्ध होकर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत उपायुक्त(अपील्स के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। उपायुक्त(प्रशासन) ने उक्त प्रार्थना पत्रों विचार करने के पश्चात दिनांक 09.01.2015 को निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किये गये दोनों पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे असन्तुष्ट ये दोनों अपीलें अपील प्रस्तुत की गई हैं।


अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित प्रदान किये बिना ही एक

पक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित कर मांग क्रमशः रू. 28,120/- व रू. 14,600/- की मांग सृजित की है, जो अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि उपायुक्त (प्रशासन) ने कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी के आधार पर उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है जो अनुचित है। उन्होंने कथन किया कि उपायुक्त (प्रशासन) को अपीलार्थी फर्म को सुनवाई का एक अवसर प्रदान कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करना चाहिए था। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने से पूर्व अधिनियम की धारा 34(2) का अवलोकन नहीं किया है। उनका कथन है कि नैसर्गिक न्याय का तकाजा है कि मांग सृजित करने से पूर्व उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी का आदेश क्रमशः दिनांक 13.03.2009 व 20.01.2011 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं, जो अपास्त योग्य हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सुनवाई का एक अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं उपायुक्त(प्रशासन) के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस तामील करवाये गये थे, किन्तु व्यवहारी ने ना तो स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र और ना ही स्वयं उपस्थित हुआ, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी के पास एकपक्षीय आदेश पारित करने के अतिरिक्त अन्य को विकल्प नहीं था। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकर करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उपायुक्त(प्रशासन) ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष अंकित करते हुए अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया है कि 'कर निर्धारण हेतु सुनवाई का नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी नोटिस की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यथा समय तामीली के बावजूद विलम्ब क कारण संसूचित किये बगैर, कर निर्धारण सम्बन्ध में प्रक्रिया से अनभिज्ञता जाहिर करने का तर्क ग्राह्य नहीं है।'

उपायुक्त (प्रशासन) के उक्त निष्कर्ष के अनुसरण में पत्रावली का अवलोकन करने पर पत्रावली पर ऐसा कोई नोटिस अथवा दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं मिला, जिससे यह जाहिर होता हो कि कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश पारित करने से अपीलार्थी को नोटिस तामील कराये हों अथवा




सूचित किया हो। उपायुक्त(प्रशासन) की पत्रावली जो वर्ष 2006-07 से सम्बन्धित है, उसके पेज संख्या 13 पर नोटिस की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध है, जिसके किसी व्यक्ति के दिनांक 10.03.2009 को हस्ताक्षर किये गये हैं, वह हस्ताक्षर किसके है और उसका अपीलार्थी से क्या सम्बन्ध है यह ज्ञात नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में नोटिस की तामील उचित नहीं मानी जा सकती है।

प्रकरण के तथ्यों के सम्बन्ध में बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है इसलिए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सुनवाई का एक और अवसर प्रदान किया जाये। प्रकरणों के सम्पूर्ण तथ्यों के विचार करने के पश्चात न्याय हित में यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का एक और अवसर प्रदान किया जाये। अतः कर निर्धारण अधिकारी एवं उपायुक्त(प्रशासन) के आदेशों को अपास्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी को एक अवसर और प्रदान कर इस निर्णय की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह स्वयं दिनांक 29.11.2016 को आलोच्य अवधियों से सम्बन्धित लेखा पुस्तकों के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर कर निर्धारण सम्पूरित करावें। यदि अपीलार्थी उक्त निर्देशों की पालना करने में असफल रहता है तो उपायुक्त(प्रशासन) द्वारा पारित निर्णय 09.01.2015 यथावत रहेंगे।

फलस्वरूप अपील स्वीकार कर प्रतिप्रेषित की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य